



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

कं. 902./अका./संबं/2022

भोपाल दिनांक 26.05.2022

To,
Principal,
Career College, Opp. Dashera Maiden
Govindpura, (BHEL) Dist. Bhopal

Affiliation Renewal
(2022-23)

विषय:- स्थाई /अस्थायी सम्बद्धता की निरंतरता सत्र 2022-23 प्रदान करने विषयक ।
महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11.05.2022 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों/विषयों को सत्र 2022-23 हेतु स्थाई/अस्थायी संबद्धता की निरंतरता प्रदान की जाती है।

S.NO	COURSE	SUBJECT	PERMANENT/ TEMPORARY
1	BCom III	All Comp.Subjects with CompAppl,OfficeMgt, Sect Prac & Tax procedure and practice Principle and Practice Insurance, Advertise Promotion and Sales Mgt.	PERMANENT
2	BBA III	3 BCA - III	PERMANENT
5	BSc III	4. BCom -III - Hons.	PERMANENT
6	MCom F	FC, Phy, Chem, Electronic, CompSc, Maths, MicroBio, Zool, Bot, BioTech, InfoTech, BioChem,	PERMANENT
7	MSc F	Account & management	PERMANENT
8	B.Lib.ISc.	Chemistry, MicroBio, BioTech, CompSc, Botany, Zoology	PERMANENT
10	B.COM III	9. M.Lib.ISc.	PERMANENT
11	BSC. I-	Tourism & Travel Management	TEMPORARY
13	BCom I-	Seed Tech, 12. MSc. (P) - Maths, Physics	TEMPORARY
		Foreign Trade Practice & Proceses	TEMPORARY

शर्त:-

- प्रदत्त अस्थायी संबद्धता/निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2023-24 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य नियामक संस्था की मान्यता निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा जारी शर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लिखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी अन्यथा प्रदत्त अस्थायी संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगी। किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में प्रदत्त संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- बिना संबद्धता के किसी छात्र-छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 का पालन करना होगा।
- प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति वि.वि. अधिनियम 28 के तहत पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्ति पत्र, मय ज्वाइनिंग रिपोर्ट विश्वविद्यालय की मेल आई टी पर एक्सल शीट में एवं महावि. की वेबसाइट पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
- शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा (अशा. महावि. हेतु)
- संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR की मुल प्रति एक माह में वि.वि. में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदत्त पाठ्यक्रमों की संबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- चयनित शिक्षकों के वेतन पत्रक, वेतन कटौती, वृत्ति कर, इत्यादि की जानकारी भी अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
- उक्त शर्तों का पालन न करने पर परिनियम-27 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार

V. Khan
उपकुलसचिव, (अकादमी)

भोपाल, दिनांक. 26.05.2022

पु.कं. 903./अका.संबं/2022

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल।
- प्रभारी, वि.वि. आई.टी /वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा की ओर सूचनार्थ।
- कुलपति/कुलसचिव जी के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।

Spatne
सहा. कुलसचिव, (अकादमी)